

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी : श्री गणेश

विपक्षी : राज्य

किस्म मुकदमा – 251“क” रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 01/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाली तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 27.01.2023</p> <p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्रीमती सन्तोष गाडरी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 में आने जाने के लिए विपक्षी की आराजी नम्बर 154 में से होकर 40 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया है। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थी के खेत तक जाता है। उक्त रास्ता 105 मीटर लम्बाई व 8 मीटर चौड़ाई कुल 945 वर्गमीटर अर्थात् 0.0945 हेक्टेयर का होकर डीएलसी दर 7,22,703/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रास्ते की राशि 68,300/- रुपये होना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है। वह वर्तमान में बिलानाम गैरकाबिल काश्त किस्म मंगरी दर्ज हैं। चूंकि प्रार्थी के भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता है। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज-0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ते कायमी बाबत बिलानाम सरकार भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: : आदेश : :—</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल की आराजी नम्बर 155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 किता 8 रकबा 1.9183 हेक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षी की आ.न. 154 में से 105 मीटर लम्बाई व 8 मीटर चौड़ाई कुल 945 वर्गमीटर अर्थात् 0.0945 हेक्टेयर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 8 मीटर चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावे। इस प्रकार रास्ते में आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज-0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 7,22,703/- अक्षरे सात लाख बाईस हजार सात सौ तीन रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0945 हेक्टेयर (945 वर्ग मीटर) की कुल कीमत 68,300/- का दुगुना 1,36,600/- रूपयें एक लाख छत्तीस हजार छः सौ रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाई जावे। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

